

27.03.2026

फावली वदीगावा मजदूर वकील के अर्जन पर फावली पेशी पर नजद करीब ५८ पेशी पेशा हुई। काम ही अर्जन कर पाए। वाउचर-विशेष भते वाचन पेश की गई। वकील अतिवादी की ओर से भी अर्जन कराया आधीवक्ता उपस्थित हुए। अर्जन पर ५८ वकल सुनी गई। दौलत महल वकील वदीगावा ने निवेदन किया कि पदाध्याय के भवन लोक अर्जन की कारण से अर्जन देना संभव नहीं है, कम पदाध्याय के भवन कोई विवाद शेष नहीं रहा है। इसी कारण वदीगावा वकल सुने जागे चलागे नहीं चाहते ये मत। खरवा नंबर ५२६, ५९५, ५९६ व ५१२ का शेष दावा अर्जन विशेष शरिफ किया जावे। वकील अतिवादी ने अर्जन की गई। एते अर्जन पर आधीवक्ताओं की वकल सुनी और वकल पर नजर किया तथा फावली का गवारी-पूर्वक इवलाफत करते पर पाया कि पदाध्याय के भवन वदीगावा होने के कारण अर्जन को अर्जन चलाने का अर्जन अर्जन नहीं होता है। अर्जन अर्जन अर्जन पर अर्जन किया जाकर अर्जन अर्जन पर ५८ अर्जन अर्जन वदीगावा का शेष नंबर अर्जन नंबर ५२६, ५९५, ५९६ व ५१२ के अर्जन अर्जन विशेष शरिफ किया जावे है।

फावली अर्जन सुना कर पाए/अर्जन

RTI  
जारी  
अर्जन  
अर्जन  
अर्जन  
अर्जन

*[Signature]*  
अर्जन  
अर्जन

*[Signature]*  
अर्जन